Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05

खण्ड I ◆ अंक 9

जून 2005

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

शाखा बैंकिंग

मृत जमाकर्ताओं के खातों का निपटान

किसी खाता धारक की मृत्यु पर दावों को बिना किसी झंझट के तेजी से निपटाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वे मृत खाता धारकों के उन खातों, जो *दोनों में से एक या उत्तरजीवीशर्ती* शर्त के अधीन संचालित हैं अथवा वे जिनमें नामांकन है, की शेष राशियों का भुगतान करने के लिए कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ एक साधारण प्रक्रिया अपनाएं। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि वे कोई एक या उत्तरजीवी शर्त में उल्लिखित व्यक्ति, उत्तरजीवी/उत्तजीवियों या नामिती से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रशासन पत्र, इच्छा पत्र अथवा क्षतिपूर्ति का कोई बांड लेने पर जोर दिये बिना, मृतक जमाकर्ताओं के खातों की शेष राशि अदा करें, चाहे मृत खाताधारक के खाते में कितनी भी राशि जमा हो। चूंकि इससे जनसाधारण की कठिनाइयां कम होंगी अत:, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे खाताधारकों का कोई एक या उत्तरजीवी शर्त के अंतर्गत या नामिती की नियुक्ति के लाभों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करके मार्गदर्शन करें।

ऐसे खातों के मामलों में जहाँ कोई नामांकन नहीं किया गया हो या जहाँ खाते में *दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी* शर्त न हो उन मामलों में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि ऐसे मामलों में उन्हें चाहिये कि एक न्यूनतम प्रारंभिक सीमा निर्धारित करें, जिस सीमा तक वे केवल क्षतिपूर्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात और अन्य किसी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर ज़ोर दिये बिना मृत खाता धारकों के खाते में पड़ी शेष राशि का भुगतान कर सकेंगे।

मीयादी जमा खाते

मीयादी जमा खातों के मामले में बैंकों को यह भी कहा गया है कि मृत जमाकर्ताओं की मीयादी जमाराशियों के मामले में मीयादी जमाकर्ता की मृत्यु होने पर कोई दंडात्मक प्रभार लगाये बिना वे मीयादी जमाराशियों की अवधिपूर्व समाप्ति की अनुमति दें। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि मीयादी जमा खाता खोलने के फॉर्म में ही वे इस शर्त को शामिल करें।

आय की राशि

मार्गस्थ राशियों के लिए अर्थात् कोई आय जैसे कि ब्याज या लाभांश वारंट मृतक जमाकर्ताओं के खातों में जमा करने के लिए प्राप्त किया जाना जारी रखा जायेगा। रिज़र्व बैंक ने इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं जिन्हें बैंक उनके कानूनी उत्तराधिकारियों से ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किये जाने के बाद ही करने पर विचार करें। बैंक श्री _____ मृतक की संपत्ति नाम से एक खाता खोल सकते हैं जिसमें इस प्रकार के सभी भुगतान जमा किये जा सकेंगे बशर्ते ऐसे खातों से कोई आहरण न किया जाएं। इसकी जगह बैंक राशियों के विप्रेषकों को चुकौती सूचनाएं खाताधारक मृत टिप्पणी के साथ वापस कर सकते हैं और उत्तरजीवी/नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी को ऐसी राशियां लौटाये जाने की सूचना दे सकते हैं ताकि उत्तरजीवी/नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी उचित हिताधिकारी को उसका भुगतान कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सके।

लॉकर खोलना

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे मृतक जमाकर्ता के उत्तरजीवी या नामिती को सेफ डिपॉजिट लॉकर खोलने या मृत जमाकर्ता के सेफ कस्टडी के वस्तुएं देने की अनुमति देते समय सामान्यत: वही प्रक्रिया अपनाएं।

समय-सीमा

बैंकों को चाहिए कि मृतक जमाकर्ताओं के खातों के संबंध में दोनों में से एक अथवा उत्तरजीवी अथवा नामिती शर्त के अंतर्गत दावों का निपटान करें और

विषय सूची

	पृष्ठ
शाखा बैंकिंग	
मृत जमाकर्ताओं के खातों का निपटान	1
छोटे उद्यम वित्तीय केन्द्रों के लिए योजना	2
सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, 1968 - स्पष्टीकरण	3
ईएफटी/एसईएफटी/ईसीएस के लिए लगाये जानेवाले प्रोसेसिंग प्रभारों से मार्च 2006 के अंत तक छूट दी गयी	3
विदेशी कंपनियों में ईक्विटी के अभिग्रहण का वित्तपोषण	3
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 - स्पष्टीकरण	3
विदेशी मुद्रा	
वायदा संविदाओं की बुकिंग और उन्हें रद्द करना	4
ब्याज दर डेरिवेटिव्स	4
नीति	
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - राज्य सरकार के गारंटीकृत निवेश	4
सूचना	
अदावी जमाराशियां	4

राशियों की अदायगी जमाकर्ता की मृत्यू का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर किया गया दावा तथा दावेदार की समुचित तथा संतोषजनक पहचान करने के बाद दावे की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर करें। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि ऐसे दावेदारों को अनावश्यक परेशान करने को पर्यवेक्षी स्तर पर बिल्कुल नापसंद किया जायेगा।

बैंकों को एक नियमित अंतराल पर मृतक जमाकर्ताओं और किराये पर लॉकर लेने वाले खातों से संबंधित प्राप्त दावों की संख्या और पंद्रह दिनों से अधिक अवधि के लिए उनके लंबित होने के कारणों सहित जिसके लिए वो लंबित रखे गये हैं अपने बोर्डों की ग्राहक सेवा समिति को रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ से भी कहा है कि वह विभिन्न प्रसंगों के अंतर्गत मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटान की परिचालन क्रियाविधि का नमूना तैयार करे, जिसे बैंक अपना सके।

छोटे उद्यम वित्तीय केन्द्रों के लिए योजना

बैंकों के सीमा क्षेत्र के विस्तार तथा लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने में सुधार लाने की दृष्टि से लघु उद्योग मंत्रालय और बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सिडबी, आइबीए और अन्य चयनित बैंकों के परामर्श से *छोटे लघु उद्यम वित्तीय केन्द्रों* के लिए एक योजना तैयार की गई है। योजना के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

बेहतर तालमेल

योजना के अन्तर्गत बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि वे अपनी शाखाओं और सिडबी की उन शाखाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करें जिनकी पहचान लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सिडबी और भागीदार बैंकों द्वारा लागू आपसी आधार पर मान्य परिचालनगत पध्दति पर लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र (अत्यन्त लघु और सेवा क्षेत्र सहित) को वित्तपोषित करने के लिए की गई है।

कवरेज

- देश में 21 राज्यों के यूएनआइडीओ द्वारा 388 लघु उद्योग क्षेत्र समूहों की पहचान की गई है। इन लघु उद्योग समूहों में से 123 समूहों को सिडबी की 30 वर्तमान शाखाओं द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है तथा वर्ष के दौरान कुछ अन्य शाखाएँ / सुपुर्दगी चैनल प्रस्तावित हैं। अतः कवरेज के लिए, सिडबी की 46 शाखाएँ जुलाई 2005 के अन्त तक लघु उद्योग के लगभग 149 समूहों को कवर करेंगी।
- समूहों में सिडबी की शाखाओं को *लघु उद्यम वित्तीय केन्द्र* के नाम से जाना जाएगा।

पात्रता

छोटे उद्यम वित्तीय केंद्र योजना के अंतर्गत पात्र इकाइयां इस तरह हैं-

क) सभी अत्यन्त लघु इकाइयाँ, चाहे उनका ऋण आकार कुछ भी हो;

ख) नई लघु और मध्यम उद्यम इकाइयां (सेवा क्षेत्र इकाइयों सहित);

ग) मौजूदा इकाइयों से विस्तार/नवीकरण/विविधीकरण/तकनीकी उन्नयन/विपणन/निर्यात आदि हेतु सभी प्रस्ताव भी पात्र होंगे;

घ) मौजूदा इकाइयाँ जिनके पास बैंकिग सहलग्नता उपलब्ध नहीं है या सीमित बैंकिंग सहलग्नता उपलब्ध है।

भागीदारी स्वरूप

लघु उद्यम वित्तीय योजना, बैंक शाखाओं सहित लघु उद्योग इकाइयों का सह-वित्तपोषण करेंगी अथवा केवल मीयादी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। इन इकाइयों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताएँ बैंकों द्वारा पूरी करेंगी। इन इकाइयों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताएँ बैंकों द्वारा पूरी की जाएगी। अपेक्षित भागीदार मामला दर मामला आधार पर परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर वित्तीय सहायता को बांटने हेतु व्यवस्था कर सकते हैं, विशेषकर उन मामलों में, जहाँ फिलहाल सिडबी द्वारा कोई सुविधाएँ प्रदान न की गई हों।

वित्तपोषण के मानदंड

ऋण ईक्विटी अनुपात, चुकौती अवधि, प्रतिभूति कवरेज, ब्याज दर आदि के लिए मानदंड अपेक्षित भागीदारों की पारस्परिक स्वीकृति से ही शामिल किए जाएंगे। परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांतों का सिडबी और अपेक्षित भागीदारों के बीच पारस्परिक स्वीकृति से पालन किया जाएगा।

सुपुर्दगी तंत्र

- सिडबी ने ऋण मूल्यांकन एवं रेटिंग उपकरण (कार्ट) मॉडल के माध्यम से वर्तमान अच्छे कार्यनिष्पादन वाली इकाइयों (50 लाख रु. तक) के लघु ऋण प्रस्तावों के तत्काल मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञता विकसित की है। सिडबी द्वारा निम्नलिखित को शामिल करने हेतु इसी मॉडल को उचित रूप से संशोधित किया जाएगा (i) हरित खेत परियोजनाएं, (ii) कार्यशील पूंजी मूल्यांकन तथा (iii) संमिश्र ऋण। उक्त मॉडल जोखिम मूल्यांकन मॉडल (आरएम) सहित, सिडबी के पास उपलब्ध व्यापक रेटिंग मॉडल को लघु एवं मध्यम उद्यमियों को प्रभावशाली मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। सिडबी तथा बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया जाये।
- अत्यंत लघु इकाइयों के लिए प्रत्येक बैंक तत्कल मूल्यांकन हेतु उचित रेटिंग मॉडल विकसित करे। सिडबी भी बैंकों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक सरलीकृत मूल्यांकन मॉडल विकसित करेगा।
- मूल्यांकन हेतु शुल्क का स्वरुप नाम मात्र होना चाहिए।
- सिडबी ने ऋण दस्तावेज़ प्रणाली प्रक्रियाओं के लिए कुछ स्वचलित प्रणाली विकसित की है जिसे बैंक अपना सकते हैं और जरूरत होने पर आवश्यक संशोधन कर सकते हैं।

निगरानी

- एसईएफसी द्वारा त्रैमासिक अंतराल में प्रगति की समीक्षा करने हेतु समूह (क्लस्टर) स्तर पर एक उचित निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा तथा संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक को रिपोर्ट किया जाएग।
- राज्य स्तरीय बैंकर समिति एसईएफसी योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करेगी।

सीआइआर सीडी पर

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू (पूर्ववर्ती क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू) के पास, बिना शुल्क उपलब्ध करायी जाने वाली सीआइआर की 300 अंक की काम्पैक्ट डिस्क की मांग करने के लिए पाठकों के अत्याधिक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हालांकि बड़ी मात्रा से सीडी की प्रतियां मुद्रित की गयीं, आपूर्ति से मांग कहीं ज्यादा बढ़ गयी। अतः पाठकों से अनुरोध है कि वे सीडी की मांग न करें। तथापि भविष्य में यदि सीडी की प्रतियां पुनमुद्रित करने का निर्णय लिया जाता है तो जिन्हें इसकी प्रति नहीं मिली है, उन्हें पहली वरीयता दी जाएगी।

- स्थायी सलाहकार समिति अपनी बैठकों में एसईएफसी के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करेगी।
- सिडबी त्रैमासिक आधार पर एसईएफसी के अंतर्गत ब्योरा प्राप्त करने हेतु एक उचित तंत्र स्थापित करेगी तथा रिज़र्व बैंक और लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को रिपोर्ट करेगी।

सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, 1968 - स्पष्टीकरण

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना, 1968 के उपबंधों में 13 मई 2005 को घोषित लिए गए संशोधनों के अनुसार न्यायिक व्यक्तियों (हिंदू अविभक्त परिवारों, न्यासों, भविष्य निधियों, आदि) अर्थात् व्याष्टियों के अलावा अन्य व्यक्तियों (सकल अथवा संयुक्त खातों के माध्यम से अथवा अवयस्कों और विक्षिप्त व्यक्तियों की ओर से अभिभावकों द्वारा जमाराशियों के माध्यम से) द्वारा सार्वजनिक भविष्य निधि योजना सहित किसी भी लघु बचत योजना के अंतर्गत उक्त तारीख को या उसके बाद खोले गए खाते, यदि कोई हों, बुनियादी रूप से अमान्य करार दिए जाने चाहिए और ऐसे खाते तत्काल बंद कर दिए जाने चाहिए। इसके अलावा, ये जमा राशियां बिना किसी ब्याज के जमाकर्ताओं को लौटा जी जानी चाहिए।

आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 13 मई 2005 से पूर्व उस समय मौजूद नियमों के अनुसार खोले गए मौजूदा खातों पर ये अनुदेश लागू नहीं होंगे। ये खाते अपनी परिपक्वता तक चलते रहेंगे तथा इन खातों में राशियां जमा करने अथवा निकालने की अनुमति दी जाएगी। तथापि, मौजूदा खातों में किसी भी प्रकार का विस्तार 13 मई 2005 के संशोधनों के अधीन होगा।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, 1968 चलाने वाली अपनी नामित शाखाओं को समुचित अनुदेश जारी करें और इसका कठोर अनुपालन सुनिश्चित करें।

ईएफटी/एसईएफटी/ईसीएस के लिए लगाये जानेवाले प्रोसेसिंग प्रभारों से मार्च 2006 के अंत तक छूट दी गयी

और अधिक बढ़ावा देने तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जोकि तेज और दक्ष है, इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी)/ विशेष इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एसईएफटी) / इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा प्रणाली (ईसीएस) लेन-देनों के लिए लगाए जानेवाले प्रोसेसिंग प्रभार से 14 जून 2005 से छूट दी गई है (चाहे इसके अंतर्गत आनेवाली राशि जो भी हो)। प्रभारों की यह छूट 31 मार्च 2006 तक चलती रहेगी।

पहली अक्टूबर 2004 में रिज़र्व बैंक ने ईसीएस और ईएफटी माध्यम से निधियां अंतरित करने के लिए 2.00 करोड़ रुपये से कम के एकल लेन-देन पर लगाए जाने वाले प्रोसेसिंग प्रभार से छूट दी थी तथा 2.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि वाले लेन देनों पर 50/- रुपये का एक समान प्रोसेसिंग प्रभार लिया जाता था।

विदेशी कंपनियों में ईक्विटी के अभिग्रहण का वित्तपोषण

यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी संयुक्त उद्यमों/पूर्णतया स्वाधिकृत सहायक कंपनियों, नयी अथवा विद्यमान, अन्य विदेशी कंपनियों में ऐसे रणनीतिगत निवेश के तौर पर, जो कि बैंक की ऋण नीति में विधिवत सम्मिलित हो और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप हो, ईक्विटी का अभिग्रहण करने के लिए भारतीय कंपनियों को वित्तीय सहायता देने की अनुमति बैंकों को दी जाए। बैंक के निदेशक मंडल को ऐसी नीति अनुमोदित करनी चाहिए जिसमें इस प्रकार के वित्तपोषण की समग्र सीमा, उधारकर्ताओं की पात्रता की शर्तों, प्रतिभूति, मार्जिन आदि को सम्मिलित किया गया हो।

जहां निदेशक मंडल ऐसे उधार देने के संबंध में अपने दिशा-निर्देश और सुरक्षा उपाय बना सकता है, वहीं यह आवश्यक है कि ऐसा/ऐसे अभिग्रहण कंपनी और देश के लिए लाभकारी हों।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 - स्पष्टीकरण

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस) से संबंधित कतिपय मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए हैं। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे कार्यान्वयन/मार्गदर्शन हेतु अपनी नामित शाखाओं को इन स्पष्टीकरणों की सूचना दें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये स्पष्टीकरण एजेंटों/निवेशकों के मार्गदर्शन हेतु इन नामित शाखाओं के सूचना पटल पर प्रदर्शित किए जाते हैं। ये स्पष्टीकरण नीचे दर्शाए गए हैं -

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 - स्पष्टीकरण

प्रश्न	स्पष्टीकरण
खंडित अवधि (एक तिमाही से कम) के लिए ब्याज की गणना किस प्रकार की जाए।	एक तिमाही से कम किसी भी अवधि के लिए ब्याज की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जानी चाहिए: *दिनों की संख्या x वार्षिक ब्याज दर* 365 या 366 [अधिक वर्ष (लीप इयर) के मामले में]
क्या ग्राहक इस योजना के अंतर्गत जमाराशियों/ खातों को गिरवी रखकर ऋण ले सकते हैं।	कुछ अन्य छोटी लघु बचत योजनाओं के संबंध में उपलब्ध गिरवी रखने की सुविधा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के संबंध में नहीं दी जा सकती क्योंकि ग्राहक गिरवी रखे गए खाते से आवधिक रूप से ब्याज नहीं निकाल सकता जोकि इस योजना के मूल प्रयोजन के ठीक विपरीत है।
क्या आपात्कालिक चिकित्सीय प्रयोजन हेतु समयपूर्व आहरण/आंशिक आहरण अनुमत हैं।	इस योजना के नियम-9 के अंतर्गत एक वर्ष के पश्चात् समयपूर्व आहरण/खाता बंद करने की सुविधा पहले ही उपलब्ध है। एक वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले किसी भी विशिष्ट प्रयोजन हेतु समयपूर्व/आंशिक आहरणों की अनुमति नहीं है। यदि यह महसूस किया जाता है कि इस योजना के किसी प्रावधान/नों से किसी ग्राहक को नाहक ही परेशानी हो रही है तो वित्त मंत्रालय ऐसे ग्राहक/ग्राहकों के एक वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले खातों की समय पूर्व बंदी की अनुरोधों पर सामान्य नियमों में ढील देने के बारे में गुण-दोष के आधार पर मामला दर मामला आधार पर विचार कर सकता है। ऐसे अनुरोध/अनुरोधों पर तभी विचार किया जाएगा बशर्ते उस मामले/मामलों की डाक विभाग के संबंध में वित्तीय परामर्शदाता (डाक)/सदस्य (विकास), डाक सेवा बोर्ड और बैंकों के संबंध में सरकारी लेखा विभाग के प्रभारी मुख्य/महाप्रबंधक द्वारा विशेष रूप से सिफ़ारिश की गई हो।
जब मिलने वाले लाभ अलग-अलग तारीखों को थोड़े-थोड़े प्राप्त हुए हों तो सेवानिवृत्ति लाभों की प्राप्ति के पश्चात 30 दिन की अवधि की गणना कैसे की जाए?	इस योजना के अंतर्गक अनेक खाते खोलने की सुविधा पहले ही उपलब्ध है। सेवानिवृत्त व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा करके मिले सेवानिवृत्ति लाभों की प्राप्ति पर एक से अधिक खाते खोल सकते हैं, बशर्ते वह तत्संबंधी खाता उस विशेष सेवानिवृत्ति लाभ की प्राप्ति से एक माह की भीतर खोला जाए।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या South - 19/2004-05 Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05
29 जून तथा 30 जून 2005 को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

विदशी मुद्रा

वायदा संविदाओं की बुकिंग और उन्हें रद्द करना

निवासी भारतीयों को अपने निवेशों (एक्सपोजर्स) कहे प्रबंधन में अधिकाधिक नमनीयता प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि चालू खाता लेन देनों की प्रतिरक्षा (हैज करने) के लिए निवासियों द्वारा बुक की गई सभी वायदा संविदाओं, चाहे उनकी अवधि जो भी हो, को मुक्त रूप से रद्द करने और उन्हें फिर से बुक करने की अनुमति प्रदान की जाए। तथापि, यह छूट उन वायदा संविदाओं पर लागू नहीं होगी जो बिना दस्तावेजों के विगत कार्य निष्पादन के आधार पर बुक की गई थी। साथ ही साथ लेनदेनों की प्रतिरक्षा (हैज) के लिए विदेशी मुद्रा में अंकित किंतु भारतीय रुपयों में निपटाई गई बुक वायदा संविदाओं पर मौजूदा प्रतिबंद जारी रहेंगे।

ब्याज दर डेरिवेटिव्स

रिज़र्व बैंक ने सभी बाजार सहभागियों (अर्थात् बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और प्राथमिक व्यापारियों) को सूचित किया है कि अब से वे ब्याज दर डेरिवेटिव्स के लिए केवल देशी रुपये के बेंचमार्कों का उपयोग करें। तथापि, बाजार सहभागियों के लिए बेंचमार्क के रूप में मुंबई अंतर बैंक प्रस्तातित वायदा दर (एम आइ एफ ओ आर) का उपयोग करने के लिए छह महीने की परिवर्तन (ट्रांसिसन) अवधि दी गई है।

रिज़र्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि हालांकि देशी रुपये से इतर बेंचमार्क वाली मौजूदा संविदाएं, संविदा की शर्तों के अनुसार जारी रखी जा सकती हैं अथवा उस संविदा की प्रतिपक्षी पार्टियों के बीच परस्पर तयशुदा शर्तों के आधार पर समाप्त की जा सकती हैं।

इसके पहले जुलाई 1999 में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और प्राथमिक व्यापारियों को ब्याज दरों के अविनिमयों से उत्पन्न जोखिमों को संभालने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से वायदा दर करारों और ब्याज दर स्वैपों का उपयोग करने की शक्ति दी गई थी। बाज़ार बनाने के लिए इन संस्थाओं को इन उत्पादों का उपयोग करने और कंपनियों को उनके तुलनपत्र निवेश जोखिमों (एक्सपोज़र) को हेज करने के लिए ये उत्पाद देने के लिए भी अनुमति दी गई थी। बेंचमार्क दर से संबंध में बाज़ार सहभागियों को किसी भी देशी धन या ऋण बाज़ार दर का उपयोग करने के लिए अनुमति दी गई थी बशर्ते दर की गणना पद्धति वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी और प्रतिपक्षियों को परस्पर स्वीकार्य हो। तथापि, बैंकों से प्राप्त विशिष्ट अनुरोधों पर 'लिबोर' को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि 'मिबोर' के अलावा रुपया बेंचमार्कों को अभी भी विकसित होना और व्यापक स्वीकृति मिलना शेष है।

नीति

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - राज्य सरकार के गारंटीकृत निवेश

रिज़र्व बैंक ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया है कि राज्य सरकार के गारंटीकृत निवेश (एक्सपोज़र) [अर्थात अग्रिम और निवेश] से संबद्ध विवेकपूर्ण मानदंड के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन के लिए राज्य सरकार की गारंटी की मांग की आवश्यकता नहीं होगी और वे राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत न किये गये निवेशों के लिए लागू मानदंडों के अधीन होंगे।

साथ ही बैंको को ट्रांज़िशन में आसानी हो इसके लिए राज्य सरकार के गारंटीकृत निवेशों (अर्थात् अग्रिम और निवेश दोनों) के संबंध में संशोधित विवेकपूर्ण मानदंडों का निम्नलिखित के अनुसार एक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किया जायेगा:

- दिनांक 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष से राज्य सरकार की गारंटीकृत अग्रिमों और निवेशों पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन मानदंड लागू किये जायेंगे, यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को देय ब्याज और / या मूल राशि या अन्य राशि 180 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।
- दिनांक 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष से राज्य सरकार की गारंटीकृत प्रतिभूतियों में राज्य सरकार के गारंटीकृत अग्रिमों और निवेश पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन मानदंड लागू किये जायेंगे, यदि बैंक को देय ब्याज और / या मूल राशि की किस्त या अन्य राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

सूचना

अदावी जमाराशियां

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी शाखाएं एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए परिचालित न किये गये खातों के संबंध में उनके ग्राहकों को उपयुक्त सूचना-पत्र भेजकर अनुवर्ती कार्रवाई करती हैं। यदि ग्राहकों को प्रेषित किये गये ऐसे पत्र अवितरित रूप से वापिस आते हैं तो बैंकों को उनका पता ठिकाना ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। उनके मृत होने की स्थिति में उनके कानूनी वारिसों का पता ठिकाना खोजना होगा। रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, परिचालन न किये जाने वाले (डेड) बचत खातों में पड़ी हुई राशि, कानूनी वारिस द्वारा दावा किये जाने पर उसे अदा की जाती है।

भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों में 31 दिसम्बर 2003 की स्थिति के अनुसार अदावी खातों में पड़ी हुई कुल राशि करीब 504.21 करोड़ रुपये है। दिनांक 31 दिसम्बर 2003 की स्थिति के अनुसार अदावी जमाराशियों के बैंकवार दावे नीचे सूचित किये गये हैं :-

राष्ट्रीयकृत बैंक	कुल अदावी जमाराशियां *(रुपये में)*
इलाहाबाद बैंक	63707050.89
आंध्र बैंक	147010778.00
बैंक ऑफ बड़ौदा	306573510.00
बैंक ऑफ इंडिया	225872669.22
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	163297070.56
केनरा बैंक	953642658.66
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	472129239.00
कॉर्पोरेशन बैंक	46652068.69
देना बैंक	85981494.00
इंडियन बैंक	141305591.00
इंडियन ओवरसीज बैंक	508133926.00
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	160390803.00
पंजाब नैशनल बैंक	1153173.00
पंजाब एंड सिंध बैंक	216889544.00
सिंडिकेट बैंक	315246775.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	595992704.41
यूनायटेड बैंक ऑफ इंडिया	202555578.00
यूको बैंक	249710202.79
विजया बैंक	185823475.00
कुल	**5042068311.22**

स्रोत : संसदीय प्रश्न

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ॲल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ॲण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को लिखें। इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**